न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 121/2019 (Bank Case)

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा मोदी कॉलेज, दादाबाडी कोटा

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. मैसर्स प्रोग्रेसिव एजेन्सीज प्रो. विनीत शर्मा पुत्र श्री देवेन्द्र कृष्ण शर्मा
   (अ) सुभाष मार्ग, मैन रोड खेडली फाटक कोटा राज.
   (ब) मकान नं. 812 प्रेम भवन, सुभाष मार्ग, खेडली फाटक, तहसील व जिला कोटा
2. श्री देवेन्द्र कृष्ण शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रेमकृष्ण शर्मा
   (अ) सुभाष मार्ग, मैन रोड खेडली फाटक कोटा राज.
   (ब) मकान नं. 812 प्रेम भवन, सुभाष मार्ग, खेडली फाटक, तहसील व जिला कोटा

(अप्रार्थीगण ऋणी)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री अविनाश ठाकुर, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 05.11.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा मोदी कॉलेज, दादाबाडी कोटा से अप्रार्थीगण ने 7,00,000/– (अक्षरेः रूपये सात लाख मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 15.02.2017 को ओवरड्राफ्ट बड़ौदा ट्रेडर्स लोन के बाबत उपलब्ध कराई थी । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री देवेन्द्रकृष्ण शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रेमकृष्ण शर्मा की मकान नं. 812 प्रेम भवन सुभाष मार्ग, खेडी फाटक कोटा में स्थित है जिसका माप 717 वर्गफीट है, को** प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को 31.03.2019 को एन. पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 7,00,419/– (अक्षरे रूपये सात लाख, चार सौ उन्नीस मात्र) दिनांक 31.03.2019 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है को पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 18.05.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति पश्चात भी ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को को दिनांक 18.05.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति पश्चात ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 18.05.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता मे **अचल सम्पत्ति श्री देवेन्द्रकृष्ण शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रेमकृष्ण शर्मा की मकान नं. 812 प्रेम भवन सुभाष मार्ग, खेडी फाटक कोटा में स्थित है जिसका माप 717 वर्गफीट है, को** भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 05.11.2019 को सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner